

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव

संपत्तिकर स्व-निर्धारण

जोन क्रमांक (१)	गुडाखू लाईन (रानी सुर्य मुखी देवी) रामाधीन मार्ग, जयप्रकाश बाई कामठीलाईन, गंजलाईन, सदर बाजार, हलवाई लाईन, सिनेमा लाईन, गोलबाजार, जूनीट्टरी, हास्पिटल रोड, मानवमंदिर चौक, जी. ई. रोड, गोशालापारा, हमालपारा,
जोन क्रमांक (२)	सर्वेश्वरदास बाई, जमातपारा, सिविल लाईन, सोनारपारा, दीवानपारा, भरकापारा, किलापारा, पावरहाऊस, कैलाशनगर, कसाईपारा, मठपारा,
जोन क्रमांक (३)	बलदेवबाग, मिलचाल, ठेठवारपारा, हीरापोती लाईन, पठानपारा, चौखडियापारा, इंदिरानगर नदई, घासीदास बाई, सतनामीपारा, वांसवाईपारा, मोहारारोड,
जोन क्रमांक (४)	स्टेशनपारा, अम्बेडकर बाई कौरिनभाठा, मोतीपुर, ममतानगर, अकरपुर, शांतिनगर, चिखली, लखोली, बसंतपुर लेबर कालोनी गौरीनगर,
जोन क्रमांक (५)	ढावा, नयाढावा, पेन्डी, रेवाडीह कन्हारपुरी, मोहारा ग्राम, सिगदई हट्टी, मोहड़,

भवन की आयु के आधार पर डेप्रीशियेशन

१.	० से १० वर्ष	१ % प्रतिवर्ष की दर से
२.	११ से १५ वर्ष	१०% + २% प्रत्येक वर्ष के लिये
३.	१६ से २५ वर्ष	२०% + ३% प्रत्येक वर्ष के लिये
४.	२५ वर्ष से ऊपर	५०% फ्लैट (अधिकतम)

नोट- भूमि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।

संपत्तिकर की दरें

अ.	जहाँ वापिक भाड़ा मूल्य ६०००/- से अधिक हो किन्तु १८०००/- से अधिक नहीं है	६ प्रतिशत
ब.	जहाँ वापिक भाड़ा मूल्य १८०००/- से अधिक है	८ प्रतिशत
स.	केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपक्रमों, संस्थाओं सहकारी समितियों एवं संस्थागत भवन भूमियों पर	१० प्रतिशत

समेकित कर की दरें

अ.	न्यूनतम समेकित दर	१८० = ०० वार्षिक
ब.	ऐसे भवन/भूमि जिसे संपत्तिकर से मुक्त रखा गया है जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गोशाला आदि	१८० = ०० वार्षिक
स.	केन्द्रीय शासन/राज्यशासन/अर्धशासकीय/राज्यशासन के उपक्रमों आदि के आवासीय क्वार्टरों पर	१८० = ०० वार्षिक
द.	जिस भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य ६०००/- से अधिक है	न्यूनतम समेकित कर + संपत्तिकर का एक प्रतिशत
इ.	केन्द्रीय शासन/राज्यशासन/निगम जिन्हें संपत्तिकर देय नहीं होता।	न्यूनतम समेकित कर + गणना अनुसार संपत्तिकर की राशि ५ प्रतिशत

1997-98

वर्षिक आड़ा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट वर्षिक दर

क्र.सं.	विवरण	खतन का किराया दर प्रति वर्गफुट (भूमि सहित)										भूमि का औषिक		वर्षिक मूल्य
		आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	आर.सी.सी./	भूमा	मूल्य	
		मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	मार्गल मैनाइट	प्रति वर्गफुट	प्रति वर्गफुट	
		मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	मुख्य	वर्षिक	वर्षिक	
		मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	मार्ग	प्रति वर्गफुट	प्रति वर्गफुट	
		पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	पृथक	वर्षिक	वर्षिक	
1.	तल एवं भूतल	25	20	18	16	14	12	10	8	6	4	05	04	03
	प्रथम मंजिल	15	10	9	8	7	6	5	4	3	2	05	04	03
	दूसरे ऊपर की मंजिल	20	18	16	14	12	10	8	6	4	3	05	04	03
2.	तल एवं भूतल	12	9	8	7	6	5	4	3	2	1	05	04	03
	प्रथम मंजिल +	20	18	16	14	12	10	8	6	4	3	05	04	03
	दूसरे ऊपर की मंजिल	12	9	8	7	6	5	4	3	2	1	05	04	03
3.	तल एवं भूतल	20	18	16	14	12	10	8	6	4	3	05	04	03
	प्रथम मंजिल +	10	8	7	6	5	4	3	2	1	0	05	04	03
	दूसरे ऊपर की मंजिल	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	05	04	03
4.	तल एवं भूतल	20	18	16	14	12	10	8	6	4	3	05	04	03
	प्रथम मंजिल +	10	8	7	6	5	4	3	2	1	0	05	04	03
	दूसरे ऊपर की मंजिल	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	05	04	03

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये विद्युत पोल हेतु फायर एवं सुरक्षा निधान द्वारा भूमि अन्धर विस्तार गैर लाइन एवं जगह गैर छम्बों के लाने बाजू 5-5 फीट भूमि पर सम्पत्ति कर वस प्रतिफल के हिसाब से देय होगा।

आज्ञा

परिपालिका निगम राजनांदगांव

// नगरपालिका नगर पालिका नियम, राजादिनाथ //

संविधान - निर्धारण § वर्ष 1999-2000

जोन क्रमांक §1 - गुड्डाख लाईन, रानी, सुर्खुडी देवी वाई, रामाधीन मार्ग, कामठी लाईन, गज लाईन, खबर बाजार, ललवाई लाईन, सिमरा लाईन, गोल बाजार, जयस्तम्भ चौक, जूनी हटारी, हास्पिटल रोड, मानव मंदिर चौक, गौशाला पारा, हमात पारा, मानव मंदिर चौक से नाथी चौक होते हुंर गौशाला पारा, जी. ई. रोड § स्टेडियम हुंर से अमात ट्रांसपोर्ट तक §.

जोन क्रमांक §2 - नाथी चौक से हुंरा टाकिल रोड § ब्राह्मण पारा, ब्राह्मण पारा, सिन्धी कालोनी, जमात पारा, सर्वोदयवाड वाई, सिन्धी लाईन, सोनार पारा, दीवान पारा, चिरिखण वाई, किला पारा, बरसमाई पारा, भरका पारा, काई पारा, देवाश नगर, पावर हाउस, टांकापारा, पुराना गज चौक से लखौती चौक हाकूल के पास, वास्वेव वाय, जी. ई. रोड, अमात ट्रांसपोर्ट के आगे से पारानाता तक § अर्धमान नगर, हुंर किछार-कुड- कालोनी, स. ९. हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, बाफ्फो नगर सुईट कालोनी, रामपूष्प नगर, अनुपम नगर, पावर हाउस से अारा मशीन रोड होते हुंर स्टेट बैंक कालोनी सब पेटेन बाजेट तक, अयोग नगरी, पूनम कालोनी, अक्ति गृह अमात कालोनी, अमात कालोनी, अमात नगर §.

जोन क्रमांक §3 - सुदेव नगर, जयलक्ष्मी नगर, रमलवात, हुंरा चौक होते हुंर डेठवापारा, अमात, हुंरा, मोती लाईन, मजरा पारा, चौखडिया पारा, इन्दिरा नगर, नवाई, धासी पास वाई, पुराने धाने से हुंरा चौक तक, हुंरा चौक से पुराना गज के पास देखी अराव लान तक सनवापी पारा, मोहरा रोड, चौखडिया पारा, सिन्धी कालोनी, लखौती चौक से महेन्द्र पेट के स्थान तक, स्टेडियम चौक से पता. की. सह. तक जी. ई. रोड §.

जोन क्रमांक §4 - स्टेडियम पारा, आ. चडेकर वाई, जोरिन भाऊ, ग्राम, मोतीपुर, पुर, गौतमनगर, चिखली, दलसुंद, लेबर कालोनी, लखौती ग्राम, मजारा, पी. टी. से पेण्ड्रा तक जी. ई. रोड §.

जोन क्रमांक §5 - नवागौत, बाबा, नया बाबा, वेसईवे= पेण्ड्री, रेवाडीह, कन्हार पुरा, मोहारा, ग्राम-सुंदई §.

नोट :- जोन विभाजन में यदि कोई क्षेत्र छूट गया होसा बाद में नई कालोनी अस्तित्व में आती है, जो नया पुर ठीक पास के क्षेत्र की निर्धारित दर लागू होगी §.

// कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनौदगांव //

सेमिति कर रव - निर्धारण १ वर्ष 1999-2000 १

॥ वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट वार्षिक दर ॥

क्र.सं.	विवरण	पक्का भवन जो सीमेंट कांक्रीट या चूने से बना हुआ हो	कच्चा भवन जो कांक्रीट या चूने से बना हुआ नहीं हो	खाली भूमि
		मुख्यमार्ग मुख्यमार्ग से पृथक	मुख्यमार्ग मुख्यमार्ग से पृथक	आवाक व्यवस्था सीधे रिक

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
१११	तल तथा भूतल १प्रत्येक १	20	18	14	12	01	02
	प्रत्येक मंजिल के लिये	10	09	07	06	-	-
१२१	तल तथा भूतल १प्रत्येक १	18	16	12	10	01	02
	प्रत्येक मंजिल के लिये	09	08	05	04	-	-
१३१	तल तथा भूतल १प्रत्येक १	16	14	11	09	01	02
	प्रत्येक मंजिल के लिये	08	07	05	04	-	-
१४१	तल तथा भूतल के १प्रत्येक १	15	13	10	08	01	02
	प्रत्येक मंजिल के लिये	08	07	06	04	-	-
१५१	तल तथा भूतल के १प्रत्येक १	10	08	06	05	01	01



कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

सम्पत्तिकर स्व-निर्धारण

(वर्ष 2000-2001)

- जोन क्रमांक (1)** गुडाखु लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23, 24), रामाधीन मार्ग (24, 25, 26), कामठी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31), सदर बाजार (31, 32), हलवाई लाईन (24, 32), सिनेमा लाईन (23, 32), गोल बाजार (23), जयस्तेम चौक (23), जूनीहटरी (23), हास्पिटल रोड (21, 22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), हम्मालपारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट तक) (13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27)
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकीज रोड (32, 33, 37), ब्राह्मणपारा (32, 33), लालबाग सिंधी कालोनी (20), जमातपारा (21), सर्वेश्वरदास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), बांसपाई पारा (37), भस्करपारा (25, 26), कैलाश नगर (27), पावर हाउस (27), टांकापारा (13), पुराना गंज चौक से लखौली चौक स्कूल के पास (30), बलदेववाग (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट के आगे से पारीनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17), उद्योग नगरी (17), पूनम कॉलोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चंद्रा गृह निर्माण (38), महेश नगर (39), कुंजविहारी कालोनी (19), म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी (19, 39), गायत्री कालोनी (19), सृष्टि कालोनी (39), रामवृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाउस से आरा मदीन रोड होते हुए, स्टेट बैंक कालोनी एवं पटेल मावेट तक (27), दीवानपारा (22), दिव्यिजय वार्ड (33), किलापारा (21, 33, 37)
- जोन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए टेटवारपारा तक (33, 37), हरामोती लाईन (34, 37), पटानपारा (34), चौखड़िया पारा (35, 36), ईंदिरा नगर (41), नंदई (42), धारसीदास वार्ड (35), पुगना धारा से कुआं चौक तक (31, 34, 37), कुआं चौक से पुराना गंज के पास देशी शराब दुकान तक (30, 31, 42), सतनामीपारा (35), मोहान रोड (41, 42), सिंधी कालोनी (36), लखौली रोड से महेंद्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एस. तक जी.ई. रोड (17, 16)
- जोन क्रमांक (4)** स्टेशनपारा (8, 9, 10), गौरानगर (12), अम्बेडकर वार्ड (11), कौरिनमोटाग्राम (39), मोतीपुर (5, 6), तुलसीपुर (10), शंकरपुर (7), शांतिनगर (4), चिखली (3, 8, 10), बसंतपुर (40), लेबर कालोनी (15), लखौली ग्राम (29, 43), मटपारा (30), पी.टी.एस. से पेन्डी तक जी.ई. रोड (17, 18, 19)
- जोन क्रमांक (5)** नवागांव (1), दाबा एवं नया दाबा (2), पेन्डी (18), रेवारीह (18), कन्हारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगई (44), हलवाई (45), मोह (44)

संपत्ति कर की दरें

अ-	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000/- से अधिक हो किन्तु 18000/- से अधिक न हो	6% (छह प्रतिशत)
ब-	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 18000/- से अधिक हो	8% (आठ प्रतिशत)
स-	25 वर्ष से अधिक पुराने भवन जिनका वार्षिक भाड़ा मूल्य 18000/- से अधिक हो	6% (छह प्रतिशत)
द-	केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपक्रमों, संस्थाओं, सहकारी समितियों एवं संस्थागत भवन, भूमियों पर	10% (दस प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क- ऐसे भवनों/भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त हैं, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख- ऐसे भवनों/भूमियों जो सम्पत्ति कर छूट प्राप्त नहीं हैं पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) सम्पत्ति कर की कुल राशि का 1% (एक प्रतिशत)
- ग- केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ अर्द्ध शासकीय के उपक्रमों आदि के आवासीय क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ- केन्द्रीय शासन/ राज्य शासन/ निगम जिन्हें सम्पत्ति कर देय नहीं है, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + सम्पत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के आर

प्रति वर्गफुट वार्षिक दर

रॉल नमूनांक विवरण	आर. सी. सी. आर. सी. सी. पट्टर की छलचुल पक्के भवन		लॉमिट या लाह की चावर या चिल्ल (टाईला) की छलचुल पक्के भवन		अन्य आंशिक पक्के वा कच्चे भवन		भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य प्रति वर्ग फुट		व्यवसायिक/ औद्योगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त दर प्रति वर्ग फुट	
	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक	मुख्य मार्ग से पुष्पक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये.	19	17	13	11	11	09	03	02		
2. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	09	08	06	05	05	04	02	01		
3. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	17	15	11	09	07	05	02	01		
4. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	08	07	04	03	03	02	02	01		
5. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	15	13	10	08	07	05	02	01		
6. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03	02	02	01		
7. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	14	12	09	07	07	05	02	01		
8. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03	02	02	01		
9. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	09	07	05	04	03	02	01	01		
10. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	06	05	04	02	02	01	01	01		

मुख्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लागू गये विद्युत पोल ट्रांसफार्मर एवं दूसरे चार विभाग द्वारा भूमि अन्दर बिछाई गई लाईन एवं लागू गये खानों के आबू-बाबू \$-5 फीट भूमि पर सम्पत्ति कर दर प्रतिशत के हिसाब से देय होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव



कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

सम्पत्तिकर स्व-निर्धारण

(वर्ष 2001-2002)

- जोन क्रमांक (1)** गुंडाखु लाईन (रानी सुर्यमुखी देवी बाई) बाई क्रमांक (23, 24), रामाधीन मार्ग (24, 25, 26), कामटी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31), सदा बाजार (31, 32), हलवाई लाईन (24, 32), रिपन लाईन (23, 32), गोल बाजार (23), जयस्तंभ चौक (23), जूनीहटरी (23), हॉस्पिटल रोड (21, 22), धानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (22), हनुमानपारा (24), 'आनंद मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (21, 32), जी.ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट तक) (13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27)
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकीज रोड (32, 33, 37), ब्राह्मणपारा (32, 33), जलवाला सिंधी कालोनी (20), जमातपारा (21), सर्वेश्वरदास बाई (22), रिजिल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), राखण्ड पारा (27), भयवापारा (25, 26), कैलाश नगर (27), पावर हाउस (27), टांकापारा (13), पुराना गंज चौक (15), लखौली चौक स्कूल के पास (29), चन्देबबाग (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट के आगे से पारिनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17), उद्योग नगरी (17), पूनम कालोनी (17), समीक गृह निर्माण (17), चन्द्रा गृह निर्माण (38), महेदा नगर (39), कुंजबिहारी कालोनी (14), म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कालोनी (19, 39), गायत्री कालोनी (19), मृष्टि कालोनी (38), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाउस से आरा मशीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कालोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दोबानपारा (22), दिग्विजय बाई (33), किलापारा (21, 33, 37).
- जोन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), भमत नगर (17), चिकमात (14), दुर्गा चौक होते हुए टेटवारपारा तक (33, 37), हीरामाती लाईन (34, 37), प्रथमपारा (34), चौकडिया पारा (35, 36), ईंदिरा नगर (41), नंदी (42), चण्डीबाग बाई (35), पुराना धाना से कुआं चौक तक (31, 34, 37), कुशौ चौक से पुराना गंज के पास देवी शराव दुकान तक (30, 31, 42), सतनालीबाग (35), मोहारा रोड (41, 42), सिंधी कालोनी (36), लखौली रोड से महेंद्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एस. तक जी.ई. रोड (17, 19).
- जोन क्रमांक (4)** स्टेडियमपारा (8, 9, 10), गौरानगर (12), अन्वेइका बाई (11), कौरिनभटा ग्राम (39), मोतीपुर (5, 6), तुलसीपुर (16), शंकरपुर (7), शांतिनगर (4), चिखली (3, 8, 10), बसंतपुर (43), सदा कालोनी (15), लखौली ग्राम (29, 43), महेदा (39), पी.टी.एस. से पन्डो तक जी.ई. रोड (17, 18, 19).
- जोन क्रमांक (5)** नवागांव (1), दावा एवं नया दावा (2), जेन्डो (18), रवाडाई (18), कन्हारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगर (44), हल्दी (45), मोहड़ (44).

संपत्ति कर की दरें

अ-	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000/- से अधिक हो किन्तु 25000/- से अधिक न हो	- 6% (छह प्रतिशत)
ब-	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25000/- से अधिक हो	- 8% (अठारह प्रतिशत)
ख-	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25000/- से अधिक हो	- 6% (छह प्रतिशत)
घ-	केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के उपक्रमों, संस्थाओं, सहकारी समितियों एवं संस्थागत भवन, भूमियों पर	- 10% (दस प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क- ऐसे भवनों/भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख- ऐसे भवनों/भूमियों जो सम्पत्ति कर छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक (सब्सिडी) सम्पत्ति कर की कुल राशि का 1% (एक प्रतिशत)
- ग- केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / अर्द्ध शासकीय उपक्रमों आदि के अक्सोव कम्पार्ट पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ- केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / निगम जिन्हें सम्पत्ति कर देय नहीं है न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + सम्पत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट वार्षिक दर

जोन क्रमांक विवरण	आर.सी.सी.		सीमेंट या तोहरे की		अन्य आंशिक पक्के		भूमि का वार्षिक		व्यवसायिक / औद्योगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त पर प्रति वर्ग फुट
	आर.सी.सी. पत्थर की		चादर या केवल (टाईल्स)		या कच्चे भवन		भाड़ा मूल्य प्रति वर्ग फुट		
	उत्तियुक्त पक्के भवन	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से प्रथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से प्रथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से प्रथक		
1. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये.	19 09	17 08	13 06	11 05	11 05	09 04	03	01	
2. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	17 08	15 07	11 04	09 03	07 03	05 02	02	01	
3. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	15 07	13 06	10 04	08 03	07 03	05 02	02	01	
4. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	14 07	12 06	09 04	07 03	07 03	05 02	02	01	
5. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मंजिल के लिये	09 06	07 05	05 04	04 03	03 02	02 01	01	01	

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये विद्युत पोल ट्रांसफार्मर एवं वूरींगार विभाग द्वारा भूमि अन्य निगमों को आर्जु-गार्जु 5-5 फीट प्रति पर गणना कर दर प्रतिशत के हिसाब से देय होगा।

आयुक्त

नगर पालिका निगम, राजनन्दगाँव



कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

सम्पत्तिकर स्व-निर्धारण

(वर्ष 2002-2003)

- जोन क्रमांक (1)** गुदाई लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23,24), रामाधीन मार्ग (24,25,26), कामठी लाईन (24,25), गंजलाईन (26,3,32), सदर बाजार (31,32) हलवाई लाईन (24, 32), सिनेमा लाईन (23,32), गोल बाजार (23), जयस्तंभ चौक (23) जूनीहटरी (23), हॉस्पिटल रोड (21,22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), हवालपारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए, गौशाला पारा (22,32), जी.ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट तक) 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27).
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकिज रोड (32,33,37), ब्राह्मणपारा (32,33), लालबाग सिंधी कालोनी (20), जमातपारा (21), सर्वेश्वरदास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), बांसपार पारा (37), भरकपारा (25,26), कैलाश नगर (27), पावर हाउस (27), टांकापारा (13), पुरानागंज चौक से लखौली चौक स्कूल के पास (30), बलदेवबाग (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट के आगे से पारिनाला तक (12,27), वर्धमान नगर (17) उद्योग नगरी (17), पूनम कालोनी (17), शक्ति मूर निर्माण (17), चन्द्रा मूर निर्माण (38), महेशनगर (39), कुंजबिरा कालोनी, (19), म.प्र. हाउसिंग बोर्ड कालोनी (19,39), गायत्री कालोनी (19), सृष्टि कालोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाउस से आरा मशीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कालोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दीवानपारा (22), दिग्विजय वार्ड (33), किलापारा (21, 33, 37).
- जोन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए ठेठवारपारा तक (33,37), हीरागोली लाईन (34,37), पटानपारा (34), चौखंडिया पारा (35, 36), इंदिरा नगर (41), नंदई (42), घासीदास वार्ड (35), पुराना भागा से कुआं चौक तक (31,34,37), कुआं चौक से पुराना गंज के पास देशी शराब दुकान तक (30,31,42), सतनार्मीपारा (35), मोहारा रोड (41,42), सिंधी कालोनी (36), लखौली रोड से महेन्द्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एल. तक जी.ई.रोड (17, 19).
- जोन क्रमांक (4)** स्टेशनपारा (8,9,10), गौरीनगर (12), आम्बेडकर वार्ड (11), कौरिनभाटा ग्राम (39), मोतीपुर (5,6), तुलसीपुर (16), शंकरपुर (7) शांति नगर (4), चिखली (3,8,10), बसंतपुर (40), लेबर कालोनी (15), लखौली ग्राम (29, 43), मठपारा (30), पी.टी.एल. से पेन्डू तक जी.ई.रोड (17,18,19).
- जोन क्रमांक (5)** नवागांव (1), टामा एव नया टामा (2), पेन्डी (18), रेवाडीर (18), कन्दारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगदई (44), हल्दी (45), मोहड़ (44).

संपत्ति कर की दरें

1. जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु. से अधिक हो किन्तु 25,000 रु. से अधिक न हो	6% (छः प्रतिशत)
2. जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25,000 रु. से अधिक हो किन्तु 80,000 रु. से अधिक न हो	7% (सात प्रतिशत)
3. जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,000 रु. से अधिक हो किन्तु 1,50,000 से अधिक न हो	9% (नौ प्रतिशत)
4. जहां भाड़ा मूल्य 1,50,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,00,000 से अधिक न हो	12% (बारह प्रतिशत)
5. जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,00,000 से अधिक हो किन्तु 2,50,000 से अधिक न हो	15% (पन्ध्र प्रतिशत)
6. जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,50,000 से अधिक हो	20% (बीस प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क- ऐसे भवनों/भूमियों पर जो सम्पत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख- ऐसे भवन/भूमियों जो सम्पत्ति कर छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) सम्पत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत)
- ग- केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/अर्द्ध शासकीय उपक्रमों आदि के आवासीय क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ- केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/निगम जिन्हे सम्पत्ति कर देय नहीं है. न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + सम्पत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

11/10/02
21/3/2005

वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट वार्षिक दर

जोन क्रमांक विवरण	आर. सी. सी. आर. बी. सी. प्रत्यक्ष की छतयुक्त पत्र के भवन		सीमेंट या लोहे की चारर या केबल (टार्डस) की छतयुक्त पत्र के भवन		अन्य शैक्षिक पत्रके या कच्चे भवन		भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य प्रति वर्गफुट		स्वासायिक/ औद्योगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त पर प्रति वर्ग फुट	
	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक
1. तल तथा भूतल (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष मंजिल के लिये.	19	17	13	11	11	09	03	01		
2. तल तथा भूतल (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष मंजिल के लिये	17	15	11	09	07	05	02	01		
3. तल तथा भूतल (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष मंजिल के लिये	15	13	10	08	07	05	02	01		
4. तल तथा भूतल (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष मंजिल के लिये	14	12	09	07	07	05	02	01		
5. तल तथा भूतल (प्रत्यक्ष) प्रत्यक्ष मंजिल के लिये	09	07	05	04	03	02	01	01		

आयुक्त
नगर पालिका निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (रत्तीसगढ़)

संपत्तिकर स्व-निर्धारण

(वर्ष 2005-06)

- जीन क्रमांक (1)** गुरुमुख लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23, 24), रामजीन मार्ग (24, 25, 26), कामठी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31), सदर बाजार (31, 32), हलवाई लाईन (24, 32), सिनेमा लाईन (23, 32), गोल बाजार (21), जट्टरतम चौक (23), जूनीहटरी (23), हॉस्पिटल रोड (21, 22), मानव मंदिर चौक (22), गोशाला पारा (32), गुलाबगंज (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गोशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (स्टेडियम तक से अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट तक) (13, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27).
- जीन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकीज रोड (32, 33, 37), ब्राह्मणपारा (32, 33), लालवाग सिंधी कॉलोनी (20), जगातपारा (21), सर्वेश्वरदास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनारपारा (21, 22, 33), बासपाई पारा (37), गरकापारा (25, 26), केलाश नगर (27), पावर हाऊस (27), टांकापारा (13), पुरानागंज चौक से लखौली चौक स्कूल के पास (30), रत्तीसगंज (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रान्सपोर्ट से आगे से पारीनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17), उरसोग नगरी (17), गुरुन कौलोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चन्द्रा गृह निर्माण (38), महेश नगर (39), कुंजविहारी कॉलोनी (19), न.प्र. हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी (19, 39), गायत्री कॉलोनी (19), सृष्टि कॉलोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावर हाऊस से आरा मशीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कॉलोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दीवानपारा (22) दिक्कज वार्ड (33), फिलापारा (21, 33, 37).
- जीन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलघाल (14), दुर्गा चौक होते हुए डेढवारपारा तक (35, 37), होरमाती लाईन (34, 37), पठानपारा (34), चौखडिया पारा (35, 36), इंदिरा नगर (41), नंदई (42), घासीदास वार्ड (35), पुराना शक्ति से कुआं चौक तक (31, 34, 37), कुआं चौक से पुराना गंज के पास देशी शराब दुकान तक (30, 31, 42), सतनाथी पारा (35), मोहाग रोड (41, 42), सिंधी कॉलोनी (36), लखौली रोड से महेन्द्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एस. तक जी. ई. रोड (17, 19).
- जीन क्रमांक (4)** स्टेशनपारा (8, 9, 10), गरी नगर (12), आम्बेडकर वार्ड (11), कारिनावाडा ग्राम (35), घासीपुर (5, 6), हलवाईपारा (16), शंकरपुर (7), शांति नगर (4), दिखली (3, 8, 10), बरसंतपुर (40), लेवर कॉलोनी (15), लखौली ग्राम (29, 44), भटपारा (30), पी.टी.एस. से पेण्डी तक जी. ई. रोड (17, 18, 19).
- जीन क्रमांक (5)** नवागांव (1), दावा एवं नया दावा (2), पेण्डी (18), रेवाडीह (16), कन्हारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगवडी (44), हल्दी (45), मोहड (44).

संपत्ति कर की दरें

क्र.	विवरण	कर की दरें
1.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु. से अधिक हो किन्तु 25,000 रु. से अधिक न हो	6% (छ: प्रतिशत)
2.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25,000 रु. से अधिक हो किन्तु 80,000 रु. से अधिक न हो	7% (सात प्रतिशत)
3.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,000 रु. से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक न हो	9% (नौ प्रतिशत)
4.	आरा मशीन, पोंहा मिल, गोदाम, राईसु मिल (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 1,50,000 रु. से अधिक न हो)	9% (नौ प्रतिशत)
5.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,00,000 रु. से अधिक न हो	12% (बारह प्रतिशत)
6.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,00,000 रु. से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो	15% (पंद्रह प्रतिशत)
7.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,50,000 रु. से अधिक हो	20% (बीस प्रतिशत)
8.	नर्सिंग होम, वार, निजी चिकित्सालय, रेस्टोरेंट (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो)	18% (अठारह प्रतिशत)
9.	पेट्रोल पंप, टॉकीज, लॉज (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु. से अधिक किन्तु 2,50,000 रु. से अधिक न हो)	15% (पंद्रह प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क - ऐसे भवनों / भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख - ऐसे भवन / भूमियों जो संपत्ति कर छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) संपत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत).
- ग - केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / अर्द्ध शासकीय उपक्रमों आदि के आवासीय क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ - केन्द्रीय शासन / राज्य शासन / निगम जिन्हें संपत्ति कर देय नहीं है, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा संपत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (उ.प्र.)

वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के आशय से प्रति वर्गफुट वार्षिक दर

जान क्षेत्रोंक विवरण	आर. सी. सी.		सीमेंट या लोहे की चादर या कबलू (टाईल्स) व छतयुक्त पक्के भवन		अन्य आंशिक पक्के या कच्चे भवन		भूमि का वार्षिक भाड़ा मूल्य प्रति वर्गफुट		व्यवसायिक / औद्योगिक उपयोग होने पर अतिरिक्त पर प्रति वर्गफुट
	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग से पृथक	
1. तल तथा भूतल (प्रत्येक प्रत्येक मंजिल के लिये)	19 09	17 08	13 06	11 05	11 05	09 04	03	01	
2. तल तथा भूतल (प्रत्येक प्रत्येक मंजिल के लिये)	17 08	15 07	11 04	09 03	07 03	05 02	02	01	
3. तल तथा भूतल (प्रत्येक प्रत्येक मंजिल के लिये)	15 07	13 06	10 04	09 03	07 03	05 02	02	01	
4. तल तथा भूतल (प्रत्येक प्रत्येक मंजिल के लिये)	14 07	12 06	09 04	07 03	07 03	05 02	02	01	
5. तल तथा भूतल (प्रत्येक प्रत्येक मंजिल के लिये)	09 06	07 05	05 04	03 02	03 02	02 01	01	01	

आयुक्त
नगर पालिका निगम राजनांदगांव (छ.स.)



2006-07 < 1 '2011 तक
कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (उत्तीसगढ़)

संपत्तिकर स्व-निर्धारण

वर्ष 2006-07

31/3/2011 तक

- जोन क्रमांक (1)** गुडाखू लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड), वार्ड क्रमांक (23,24), रामाधीन मार्ग (24, 25, 26), कामठी लाईन (24, 25), गंज लाईन (26, 31), सवर बाजार (31, 32), हलवाई लाईन (24, 32), सिनेमा लाईन (23, 32), गोल बाजार (23), जय स्तंभ चौक (23), जूनी हटरी (23), हास्पिटल रोड (21, 22), मानव मंदिर चौक (22), गौशाला पारा (32), हमाल पारा (24), मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22, 32), जी.ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक) (13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 27)
- जोन क्रमांक (2)** गांधी चौक से दुर्गा टॉकिज रोड (32, 33, 37), ब्राह्मण पारा (32, 33), लालबाग सिंधी कॉलोनी (20), जमातपारा (21) सर्वेश्वर दास वार्ड (22), सिविल लाईन (15), सोनार पारा (21, 22, 33), बांसपाई पारा (37), भरकापारा (25, 26), कैलाश नगर (27), पावर हाऊस (27), टांका पारा (13), पुराना गंज चौक से लखोली चौक स्कूल के पास (30), बल्देव बाग (14), जी.ई. रोड अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से आगे से पार्सनाला तक (12, 27), वर्धमान नगर (17) उद्योग नगरी (17), पूनम कॉलोनी (17), शक्ति गृह निर्माण (17), चन्द्रा गृह निर्माण (36), महेश नगर (39), कुंजविहारी कॉलोनी (19) म.प्र. हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी (19, 39), गायत्री कॉलोनी (19), सुधि कॉलोनी (39), रामकृष्ण नगर (19), अनुपम नगर (19), पावरहाऊस से आरा मशीन रोड होते हुए स्टेट बैंक कॉलोनी एवं पटेल मार्केट तक (27), दीवान पारा (22), दिव्जिय वार्ड (33), किलापारा (21, 33, 37)
- जोन क्रमांक (3)** सहदेव नगर (19), ममता नगर (17), मिलचाल (14), दुर्गा चौक होते हुए ठेठवार पारा तक (33, 37), हीरामोती लाईन (34, 37), पठानपारा (34), चौखडिया पारा (35, 36), इंदिरा नगर (41), नंदई (42), घासीदास वार्ड (35), पुराना थाना के कुंआ चौक तक (31, 34, 37), कुंआ चौक से पुराना गंज के पास देशी शराब दुकान तक (30, 31, 42), सतनामी पारा (35), मोहारा रोड (41, 42), सिंधी कॉलोनी (36), लखोली रोड से महेन्द्र जैन के मकान तक (29, 43), स्टेडियम चौक से पी.टी.एस तक जी. ई. रोड (17, 19)
- जोन क्रमांक (4)** स्टेशन पारा (8, 9, 10), गौरी नगर (12), आम्बेडकर वार्ड (11), कोरिन भाउ ग्राम (36) मोरानपुर (8, 9), हुलसीपुर (16), शंकरपुर (7) शांति नगर (4) विखली (3, 8, 10), बसंतपुर (40), लेबर कॉलोनी (15), लखोली ग्राम (29, 43), मठपारा (30), पी.टी. एस से पेण्डी तक जी.ई. रोड (17, 18, 19)
- जोन क्रमांक (5)** नवागांव (1), डाबा एवं नया डाबा (2), पेन्डी (18), रेवार्डह (18), कन्धारपुरी (28), मोहारा ग्राम (41), ग्राम सिंगदई (44), हलदी (45), मोहड़ (44)

संपत्ति कर की दरें

क्र.	विवरण	कर की दरें
1.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक हो किन्तु 25,000 रु से अधिक न हो	6% (छः प्रतिशत)
2.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 25,000 रु से अधिक हो किन्तु 50,000 रु से अधिक न हो	7% (सात प्रतिशत)
3.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,000 रु से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु से अधिक न हो	9% (नौ प्रतिशत)
4.	आरा, मशीन, पोहा मिल, गोदम, राईस मिल	9% (नौ प्रतिशत)
5.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक हो किन्तु 1,50,000 रु से अधिक न हो	12% (बारह प्रतिशत)
6.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,000 रु से अधिक हो किन्तु 2,00,000 रु से अधिक न हो	15% (पन्द्रह प्रतिशत)
7.	जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,00,000 रु से अधिक हो किन्तु 2,50,000 रु से अधिक न हो	20% (बीस प्रतिशत)
8.	नर्सिंग होम, बार, निजी चिकित्सालय, रेस्टोरेंट (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक किन्तु 2,50,000 रु से अधिक न हो)	18% (अठारह प्रतिशत)
9.	पेट्रोल पंप, टॉकिज, लॉज (जहां वार्षिक भाड़ा मूल्य 6,000 रु से अधिक किन्तु 2,50,000 रु से अधिक न हो)	15% (पन्द्रह प्रतिशत)

समेकित कर की दरें

- क - ऐसे भवनों/भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है, पर समेकित कर की राशि रु. 90/- वार्षिक.
- ख - ऐसे भवन/भूमियों जो संपत्ति कर छूट प्राप्त नहीं है पर समेकित कर रु. 180/- वार्षिक तथा (+) संपत्ति कर की कुल राशि 1% (एक प्रतिशत)
- ग - केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/अर्द्धशासकीय उपक्रमों आदि के आवासी क्वार्टर पर 180/- रु. वार्षिक एवं प्रत्येक कार्यालय पर रु. 180/- वार्षिक.
- घ - केन्द्रीय शासन/राज्य शासन/निगम जिन्हें संपत्ति कर देय नहीं हैं, न्यूनतम समेकित कर 180/- रु. तथा + संपत्ति कर की राशि का 5% (पांच प्रतिशत)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ.ग.)

वार्षिक आड़ा मूल्य की गणना के आधार से प्रति वर्गफुट वार्षिक दर

लोन क्रमांक विवरण		आर.सी.सी.		सीमेंट या लोहे की वाटर या		अन्य आर्थिक पत्रके		भूमि का वार्षिक		व्यवसायिक	
आर.बी.सी. परशर की		कचलू (टाईल्स) की		या कच्चे भवन		भाड़ा मूल्य प्रति		वर्गफुट		औद्योगिक उपयोग	
छतयुक्त पत्रके भवन		छतयुक्त पत्रके भवन		छतयुक्त पत्रके भवन		छतयुक्त पत्रके भवन		छतयुक्त पत्रके भवन		छतयुक्त पत्रके भवन	
मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक	मुख्य मार्ग	मुख्य मार्ग से पृथक
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	13	17	13	11	11	09	03	01			
प्रत्येक मंजिल के लिये	09	08	06	05	05	04					
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	17	15	11	09	07	05	02	01			
प्रत्येक मंजिल के लिये	08	07	04	03	03	02					
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	15	13	10	08	07	05	02	01			
प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03	02					
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	14	12	09	07	07	05	02	01			
प्रत्येक मंजिल के लिये	07	06	04	03	03	02					
तल तथा भूतल (प्रत्येक)	09	07	05	04	03	02	01	01			
प्रत्येक मंजिल के लिये	06	05	04	02	02	01					

1.- प्रेस कामकाजका में भी संगतिका लागू किया जाता है तथा बहुमंजिला इमारतों के प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर संगतिका की दर निर्धारित होगी। उक्त निर्धारित दर (जैसे बहुमंजिला इमारत की भूतल का संगतिका दर 18/- प्रति वर्ग फीट वार्षिक दर है तथा उक्त दर में रूपये 2/- दर्श किट वार्षिक दर कम कर प्रथम तल में रूपये 16/- प्रति वर्ग फीट वार्षिक दर से एवं उसके ऊपर अन्त मंजिलों की वार्षिक भाड़ा मूल्य रूपये 16/- प्रति वर्ग फीट निर्धारित होगी)। भूतल एवं प्रथम मंजिल तथा उसके ऊपर अन्य मंजिलों से संगतिका वसूल की जायेगी।

: आयुक्त :
नगर पालिका निगम
रानजौरगौव (छ.ग.)

326.25 x 2.1% = 7.464

2011-12
2012-13

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव

वर्ष 2011-12 हेतु संपत्तिकर स्व निर्धारण की दरें।

(1) वार्षिक भाड़ा मूल्य की दरें

जोत कमाक विवरण	आर सी.सी. आर वी.सी. पत्थर की छतपुवत	सीमेंट या लोहे की चादर या कच्चा (टाईल) की छतपुवत	अन्य आशिक फाक या कच्चे गवन भाड़ा	भूमि का वार्षिक मूल्य प्रति	व्यवसायिक औद्योगिक उपयोग वर्गफुट होने प अतिरिक्त प्रति वर्गफुट
	मुख्य मार्ग से पृथक्	मुख्य मार्ग से पृथक्	मुख्य मार्ग से पृथक्	मुख्य मार्ग से पृथक्	मुख्य मार्ग से पृथक्
1. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मजिल के लिये	19 09	17 08	13 06	11 05	03 01
2. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मजिल के लिये	17 08	15 07	11 04	09 03	02 01
3. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मजिल के लिये	15 07	13 06	10 04	08 03	02 01
4. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मजिल के लिये	14 07	12 06	09 04	07 03	02 01
5. तल तथा भूतल (प्रत्येक) प्रत्येक मजिल के लिये	09 06	07 05	06 04	04 02	02 01

टीप: 1- प्रेस कॉम्प्लेक्स में भी संपत्तिकर लागू किया जाता है तथा बहुमंजिला इमारतों के प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर संपत्तिकर की दर निर्धारित होगी। उक्त निर्धारित दर (जैसे बहुमंजिला इमारत की भूतल का संपत्तिकर रु. 18/- प्रति वर्गफीट वार्षिक दर है तथा उक्त दर में रुपये 2/- वर्गफीट वार्षिक दर कम कर प्रथम तल में रुपये 16/- प्रति वर्गफीट वार्षिक दर से एवं उसके ऊपर अन्य मजिलों की वार्षिक भाड़ा मूल्य रुपये 16/- प्रति वर्गफीट निर्धारित होगी (भूतल एवं प्रथम मजिल तथा उसके ऊपर अन्य मजिलों से संपत्तिकर वसूल की जावेगी।

2. एन.आई.सी. द्वारा पारित संकल्प अनुसार वर्ष 2011-12 से व्यवसायिक/औद्योगिक भवन/भूमि पर पूर्व में निर्धारित प्रति वर्गफुट + अतिरिक्त दर पर 25% अधिक की दर से वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना की जावे।

(2) संपत्तिकर की दरें (स्लेब में)

(नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन आदेश पं.क. 4021/263/18/2011 दिनांक 4/06/2011 के अनुसार)

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000/- तक मुक्त	
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001/- से 12000/-	तक 6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 12001/- से 20000/-	तक 8 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 20001/- से 30000/-	तक 10 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 30001/- से 50000/-	तक 12 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 50001/- से 75000/-	तक 15 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 75001/- से 100000/-	तक 18 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 100001/- से अधिक/-	तक 20 प्रतिशत

आयुक्त,

नगर पालिक निगम राजनांदगांव

car

कमरा 2 पर

94-96-97
अल लिख
60x36

97-

कार्यालय नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

संपत्तिकर स्व निर्धारण के लिए संपत्तिकर जोन

वर्ष 2011-12

7012-13

संपत्तिकर जोन

जोन क्रमांक (1)

गुडाखू लाईन (रानी सूर्यमुखी देवी वार्ड) वार्ड क्रमांक (23,24) रामाधार्म मार्ग (24,25,26) कामटी लाईन (24,25) गंज लाईन (26,31) सदा बाजार (31,32) हलवाई लाईन (24,32) सिनेमा लाईन (23,32) गोल बाजार (23) जय स्तंभ चौक (23) जूनी हटरी (23) हार्मिस्टल रोड (21,22,) मानव मंदिर चौक (22) गौशाला पारा (32) हमाल पारा (24) मानव मंदिर चौक से गांधी चौक होते हुए गौशाला पारा (22,32) जी. ई. रोड (स्टेडियम चौक से अग्रवाल ट्रांसपोर्ट तक) (13,14,15,19,20,22,24,26,27)

जोन क्रमांक (2)

गांधी चौक से दुर्गा टॉकज रोड (32,33,37) ब्राम्हण पारा (32,33) लाल बाग सिंधी कालोनी (20) जयान्त पारा (21) रावेंश्वरदास वार्ड (22) सिविल लाईन (15) सोनार पारा (21,22,33) बांसपाई पारा (37) भस्करा पारा (25,26) केलाश नगर (27) पावर हाउस (27) टांका पारा (13) पुराना गंज चौक से लखौली चौक स्कूल के पास (30) बलदेव बाग (14) जी. ई. रोड अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के आगे से पारी नाला तक (12,27) वर्धमान नगर (17) उद्योग नगरी (17) पुनम कालोनी (17) शक्ति गृह निर्माण (17) चंद्रा गृह निर्माण (38) महेश नगर (39) कुंज विहार कालोनी (19) म. प्र. होउसिंग बोर्ड कालोनी (19,39) गायत्री कालोनी (19) श्रृष्टि कालोनी (30) रामकृष्ण नगर (19) अनुपम नगर (19) पावर हाउस आरामशान रोड होते हुए स्टेट बैंक कालोनी एवं पटेल मार्केट तक (27) दीवान पारा (22) दिग्विजय वार्ड (33) थिलका पारा (21,33,37)

जोन क्रमांक (3)

सहदेव नगर (19) ममता नगर (17) मिल चाल (14) दुर्गा चौक होते हुए ठठका बाग तक (33,37) विहारोती लाईन (34,37) पटान पारा (34) चौखिवाडा पारा (35,36) शंकरा नगर (41) नदई (42) रामदास वार्ड (35) पुराना धान से कुआँ चौक तक (31,34,37) कुआँ चौक से पुराना गंज के पास देशी पाराद दुकान तक (30,31,42) मनमोहि पारा (35) मोहन रोड (41,42) सिंधी कालोनी (30) लखौली रोड से मकान के मकान तक (29,43) स्टेडियम चौक से पी. टी. एन. तक जी. ई. रोड (17,19)

जोन क्रमांक (4)

स्टेशन पारा (8,9,10) गौरी नगर (12) आम्बेडकर वार्ड (11) कौरन भाटा ग्राम (39) मोहानपुर (5,6) हुलसिंग (16) शंकर पुर (7) शक्तिनगर (4) चिडली (3,8,10) वसंतपुर (40) लेबर कालोनी (15) लखौली ग्राम (29,43) मठपारा (30) पी. टी. एन. से पेन्डी तक जी. ई. रोड (17,18,19)

जोन क्रमांक (5)

नवागांव (1) ढाबा एवं नया ढाबा (2) पेन्डी 18 रेवाडीह (18) कन्हारपुरी 28 मोहारा ग्राम (41) ग्राम सिंगई (44) हल्दी (45) मोहड (44)

धारा 137 के अधीन समयावधि के पूर्व चालू वर्ष 2011-12 की देय

संपत्तिकर एक मुश्त जमा करने पर छुट

(एम0आई0सी0 द्वारा प्रस्ताव कं 5 दिनांक 1/7/2011 में पारित)

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2011 तक | 6.25% |
| 2. 1 जून 2011 से 31 जुलाई 2011 तक | 5% |
| 3. 1 अगस्त 2011 से 30 सितंबर 2011 तक | 4% |
| 4. 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2011 तक | 2% |

समेकितकर की दरें।

1. संपत्तिकर योग्य भवन से - 600/- वार्षिक
2. संपत्तिकर से मुक्त भवन से - 300/- वार्षिक

आयुक्त,
नगर पालिक निगम राजनांदगांव